पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 356/2012

अनवान :

संदीप पुत्र जसवन्त जाति जाट निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा।
2. साहबराम पसुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा।
3. रामेती पुत्री अमीलाल पत्नी ओमप्रकाश पुत्र मामचन्द जाति जाट सहारण निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।
4. सुरस्ती पुत्री अमीलाल पत्नी मांगेराम पुत्र मामचन्द जाति जाट सहारण निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. सीता पुत्री विमला पुत्री अमीलाल पत्नी ओमप्रकाश झाझड़ा जाट निवासी हाल भोजराज की ढाणी तहसील भुना फतेहाबाद।
6. रोशनी पत्नी जसवन्त जाति जाट निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा।
7. कान्ता पुत्री जसवन्त जाति जाट निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा।
8. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक छानीबड़ी।
9. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

प्रकरण सं0 : 07/2013

अनवान :

साहबराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. सन्दीप कुमार पुत्र जसवन्त सिंह जाति जाट निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा।
2. रोशनी पत्नी जसवन्त सिंह जाति जाट निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा।
3. कान्ता पुत्री जसवन्त जाति जाट निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा।
4. ओमप्रकाश पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा।

– असल प्रतिवादीगण

5. सावित्री पुत्री कालुराम जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
6. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (कृषि विकास) शाखा छानीबडी जरिये शाखा प्रबन्धक।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी प्रकरण सं0 356/2012 श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 श्री पवन सिहाग व वकील प्रतिवादी सं0 3 से 7 श्री भानुप्रताप सिंह व वकील

वादी प्रकरण सं0 07/2013 श्री सुरेन्द्र बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 3 श्री मुन्शीराम गोस्वामी व बकील प्रतिवादी सं0 5 श्री संदीप गोदाराम की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 बीबीएम के वर्तमान खाता सं0 21/23 के मु0नं0 32 के किला नं0 13, 17 ता 24 की 2.277 है0 मु0नं0 33 के किला नं0 16, 17, 21 ता 25 की 1.771 है0 मु0नं0 36 के किला नं0 1 ता 9 की 2. 277 है0 मु0नं0 37 के किला नं0 1 ता 4 व 7 की 1.265 है0 कुल तादादी 7.590 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी कृषि भूमि स्थित है में वादी संदीप 70 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 का 140 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 साहबराम 140 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6 रोशनी 35 हिस्सा एवं प्रतिवादिया सं0 7 कान्ता 35 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए बैंक रहन मुक्त होने के बाद ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकर्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.11.17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 356/2012

अनवान :

संदीप पुत्र जसवन्त जाति जाट निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा।
2. साहबराम पसुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा।
3. रामेती पुत्री अमीलाल पत्नी ओमप्रकाश पुत्र मामचन्द जाति जाट सहारण निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।
4. सुरस्ती पुत्री अमीलाल पत्नी मांगेराम पुत्र मामचन्द जाति जाट सहारण निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. सीता पुत्री विमला पुत्री अमीलाल पत्नी ओमप्रकाश झाझड़ा जाट निवासी हाल भोजराज की ढाणी तहसील भुना फतेहाबाद।
6. रोशनी पत्नी जसवन्त जाति जाट निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा।
7. कान्ता पुत्री जसवन्त जाति जाट निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा।
8. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक छानीबड़ी।
9. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी **: वादी**
वकील श्री पवन सिहाग **: प्रतिवादी सं0 1 व 2**
वकील श्री भानुप्रताप **: प्रतिवादी सं0 3 से 7**

प्रकरण सं0 : 07/2013

अनवान :

साहबराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. सन्दीप कुमार पुत्र जसवन्त सिंह जाति जाट निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा।
2. रोशनी पत्नी जसवन्त सिंह जाति जाट निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा।
3. कान्ता पुत्री जसवन्त जाति जाट निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा।
4. ओमप्रकाश पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी बाम्बलवास तहसील भादरा।

– असल प्रतिवादीगण

5. सावित्री पुत्री कालुराम जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।

6. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (कृषि विकास) शाखा छानीबडी जरिये शाखा प्रबन्धक।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल **: वादी**
वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी **: प्रतिवादी सं0 1 ता 3**
वकील श्री संदीप गोदारा **: प्रतिवादी सं0 5**

निर्णय **दिनांक :** 15.11.17

हस्तगत दोनों प्रकरण एक ही विषयवस्तु व कृषि भूमि से संबंधित है इसलिए दोनों पत्रावलियों में निर्णय एक साथ किया जा रहा है। संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 बीबीएम के वर्तमान खाता सं0 21/23 के मु0नं0 32 के किला नं0 13, 17 ता 24 की 2.277 है0 मु0नं0 33 के किला नं0 16, 17, 21 ता 25 की 1.771 है0 मु0नं0 36 के किला नं0 1 ता 9 की 2.277 है0 मु0नं0 37 के किला नं0 1 ता 4 व 7 की 1.265 है0 कुल तादादी 7.590 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी कृषि भूमि स्थित है।

वादभूमि राजस्व रिकार्ड में 420 हिस्सा में प्रतिवादी ओमप्रकाश, साहबराम व वादी का पिता स्व0जसवन्त तथा वादी की दादी स्व0 चावली के नाम से बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज है। वादी के पिता का देहान्त होने के उपरान्त वादी के पिता के नाम दर्ज 105 हिस्सा वादी व वादी की माता तथा बहन रोशनी व कान्ता को बहिस्सा बराबर अर्थात् 35–35 हिस्सा भूमि विरासतन प्राप्त हो गया। वादी की दादी चावली ने अपने नाम दर्ज 105 हिस्सा भूमि का अपने जीवनकाल में अपनी स्वतन्त्र ईच्छा एवं राजीखुशी बरोबरू गवाहान वादी के पक्ष में दिनांक 15.06.2012 को दस्तबरदारी (हक त्याग पत्र) उपपंजीयक छानीबड़ी के समक्ष तस्दीक रजिस्टर करवा दिया एवं उक्त भूमि का कब्जा वादी को सम्भला दिया था। इस प्रकार वादी के हिस्सा में अपने पिता से 35 हिस्सा भूमि विरासतन में प्राप्त हुई तथा अपनी दादी चावली से हक तर्क कर देने पर चावली का 105 हिस्सा मिला जो कुल 140 हिस्सा भूमि वादी को प्राप्त हो गई एवं उसी पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है।

वादी के पिता जसवन्त से वादी को विरासतन मिली है वादी के पिता का देहान्त दिनांक 25.10.2011 को हो गया तथा वादी की दादी का भी देहान्त हो गया है लेकिन वादभूमि आज भी वादी के हक हिस्सा की वादी के पिता जसवन्त एवं वादी की दादी चावली के नाम से ही दर्ज आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 व 2, 4 ने जबाब काउन्टर क्लेम पेश किया कि वादभूमि में अमीलाल से प्राप्त 420 हिस्सा भूमि में से उसके तीन पुत्र जसवन्तसिंह, ओमप्रकाश, साहबराम व उसकी पत्नी चावली देवी चारों प्रत्येक 105–105 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हुए और इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड व मौजूदा जमाबन्दी में इनके नाम भूमि दर्ज हो गई। क्योंकि जसवन्तसिंह का

देहान्त हो गया उसके तीन वारिस, वादी व प्रतिवादीया सं0 6 व 7 है जो जसवन्तसिंह के 105 हिस्सा के तीनों संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। एवं चावली द्वारा दिनांक 15.06.2012 को तस्दीक करवाई गई दस्तबरदारी के अनुसार कानूनन उसका 105 हिस्सा मृतक जसवन्तसिंह के पुत्र वादी संदीप एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 जो चावली के बेटे, पौते होने के कारण एवं रक्त संबंधी होने के कारण उसके 105 हिस्सा के तीनों संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। क्योंकि प्रतिवादीया सं0 3 से 5 रामेती, सुरस्ती एवं सीता ने अपना हक व हिस्सा पूर्व में ही तर्क कर दिया था, इसलिए उनका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। इस प्रकार मिन प्रतिवादीगण जरिये काउण्टर क्लेम यह घोषणा करवापाने के कानूनी अधिकारी है कि वादभूमि में जसवन्त के देहान्त के बाद एवं चावली देवी की उपर वर्णित दस्तबरदारी के बाद वादी संदीप 70 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 का 140 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 का 140 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6 का 35 हिस्से के खातेदार काश्तकार है एवं बाद करने उक्त घोषणा तदानुसार जमाबन्दी दुरूस्त की जावे एवं उपरोक्त प्रकार से सभी के नाम वाद भूमि दर्ज की जावे एवं वादी व प्रतिवादी सं0 3 ता 7 ने राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

बहस वकुलाए फरिकेन सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषकगण ने जाहिर किया कि अमीलाल के नाम चक 2 बीबीएम में 420 हिस्सा दर्ज है। संदीप ने दादी चावली देवी से 105 हिस्सा का अकेले के नाम दस्तबदारी करवा ली। दस्तबरदारी का नामान्तरकरण करने से पूर्व साहबराम ने न्यायालय मुंं दावा कर दिया व दावा में स्टे मिल गया। फिर संदीप ने दावा पेश किया जो दस्तबरदारी पर आधारित था। संदीप के दावा में ओमप्रकाश ने काउन्टर क्लेम पेश किया। ओमप्रकाश व संदीप के दावे कन्सोलिडेट कर दिये। अब सभी पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो गया है। राजीनामा में चावली के समस्त एलआर पक्षकार है। राजीनामा में सभी पक्षकारों ने चावली के नाम की भूमि राजीनामा के अनुसार देने की सहमति प्रदान की। राजीनामा के आधार पर काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तोवजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी संन्दीप कुमार ने चक 2 बीबीएम के खाता सं0 21/23 में अपनी दादी चावली देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में मुताबिक दस्तबरदारी दिनांक 15.06.2012 के व अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है वहीं प्रकरण सं0 07/2013 में वादी साहबराम ने कृषि भूमि पैतृक दादालाई जाहिर करते हुए चावली देवी के नाम दर्ज भूमि को चावली देवीं के दोनों पुत्रों साहबराम व प्रतिवादी सं0 4 ओमप्रकाश को प्रत्येक को 1/12—1/12 हिस्सा व जसवन्त के वारिसान प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के नाम बहिस्सा बराबर 1/12 हिस्सा की घोषणा करवाने की इस्तदुआ चाही है। चूंकि हस्तगत दोनों पत्रावलीयां एक ही कृषि भूमि से सम्बधित है व पक्षकारान ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है और मुताबिक राजीनामा पक्षकारान प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के अनुसार डिक्री किये जाने पर सहमत है। हमारे द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का अध्ययन किया गया और पाया गया कि मुताबिक काउन्टर क्लेम मुताबिक राजीनामा किया जाना उचित है।

अत : काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 बीबीएम के वर्तमान खाता सं0 21/23 के मु0नं0 32 के किला नं0 13, 17 ता 24 की 2.277 है0 मु0नं0 33 के किला नं0 16, 17, 21 ता 25 की 1.771 है0 मु0नं0 36 के किला नं0 1 ता 9 की 2.277 है0 मु0नं0 37 के किला नं0 1 ता 4 व 7 की 1.265 है0 कुल तादादी 7.590 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी कृषि भूमि स्थित है में वादी संदीप 70 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 का 140 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 साहबराम 140 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6 रोशनी 35 हिस्सा एवं प्रतिवादिया सं0 7 कान्ता 35 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूकि विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए बैंक रहन मुक्त होने के बाद ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.11.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़